


<p>तारीख</p>	<p>प्रकरण संख्या 119/2024 जीसीएमएस नम्बर 2024/180 अनवान विकास अधिकारी पंचायत समिति रोहट बनाम प्रवीण कुमार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>11/6/25 25.06.2025</p>	<p>श्री.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है पेशी इत्तवा केवल पत्रावली दिनांक 25/6/25 को पेश हो</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित। जैर निगरानी याचिका प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति रोहट ने धारा 97 के तहत ग्राम पंचायत रोहट द्वारा मिसल संख्या 203/2018-19, संकल्प संख्या 02/22.03.2019 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 018 दिनांक 11.09.2019 को निरस्त करवाने हेतु पेश की हैं। हस्तगत प्रकरण का अवलोकन करने पर न्यायालय के संज्ञान में आया कि न्यायालय जिला कलक्टर, पाली के प्रकरण संख्या 63/2022 बअनवान भरत पटेल बनाम प्रवीण कुमार अन्तर्गत धारा 97 में पारित निर्णय दिनांक 07.11.2023 के द्वारा ग्राम पंचायत रोहट द्वारा मिसल संख्या 203/2018-19, संकल्प संख्या 02/22.03.2019 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 018 दिनांक 11.09.2019 को खारिज किया गया। हस्तगत प्रकरण में यह स्पष्ट है कि प्रार्थी, ग्राम पंचायत के जिस प्रस्ताव एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को खारिज करवाना चाहते हैं वह न्यायालय जिला कलक्टर, पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.11.2023 के जरिये खारिज किया जा चुका है। अतः जैर निगरानी याचिका में पुनः उसी धारा के तहत न्यायालय हाजा स्तर पर कोई निर्णय पारित किया जाना उचित नहीं समझते हैं। इसलिये हस्तगत निगरानी निस्प्रयोजन हो जाने से इसी स्तर पर खारिज की जाती हैं। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p> <p> अति. जिला कलक्टर, पाली अति. जिला कलक्टर. पाली</p>	